भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5139
24 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय-मध्य प्रदेश में कृषि अवसंरचना निधि के लाभार्थी

5139. श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहानः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) योजना को कृषि अवसंरचना के विकास, भंडारण क्षमता बढ़ाने और किसानों को बेहतर विपणन सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से चला रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में अब तक स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) क्या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या 24, रतलाम के अंतर्गत आने वाले रतलाम-झाबुआ-अलीराजपुर क्षेत्र में कृषि उपज भंडारण, शीतागारों, प्रसंस्करण इकाइयों और कृषि संभार-तंत्र अवसंरचना के विकास के लिए परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और किसानों को इन परियोजनाओं से क्या लाभ प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का उक्त क्षेत्र में भविष्य में कृषि अवसंरचना से संबंधित नई परियोजनाओं को स्वीकृत करने का विचार है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): जी, हां। सरकार, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, भंडारण क्षमता में वृद्धि और किसानों को बेहतर विपणन सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) को कार्यान्वित कर रही है।

(ख): एआईएफ के तहत मध्य प्रदेश में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण अनुबंध- क में दिया गया है।

(ग) और (घ): जी, हां। संसदीय क्षेत्र संख्या 24, रतलाम के अंतर्गत आने वाले रतलाम, झाबुआ एवं अलीराजपुर क्षेत्र में कृषि उपज भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण इकाइयों और कृषि लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है। एआईएफ परियोजनाएं, इस क्षेत्र में फसलोपरांत हानि में कमी, विपणन और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, ग्रामीण रोजगार का सृजन आदि में सहायता करता है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होता है।

(ङ): एआईएफ एक मांग-आधारित वित्तपोषण सुविधा है। पात्र लाभार्थी कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जिन पर योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार उनकी पात्रता और व्यवहार्यता के आधार पर विचार किया जाता है।

अनुबंध- क

मध्य प्रदेश में 11 मार्च 2026 तक स्वीकृत परियोजनाएं			
क्र.सं.	परियोजनाओं का विवरण	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत ऋण राशि (रुपए करोड में)
1	एरोपोनिक खेती	1	1.23
2	अस्सेयिंग यूनिट्स	3	5.48
3	बायो- स्टिम्युलेंट उत्पादन इकाइयाँ	6	7.38
4	कोल्ड स्टोर और कोल्ड चेन	149	519.78
5	समग्र परियोजना	10	30.30
6	कस्टम हायरिंग सेंटर	7831	1121.69
7	खेती/कटाई स्वचालन	3877	950.12
8	हाइड्रोपोनिक खेती	2	0.57
9	स्मार्ट और प्रिसीजन खेती के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर	104	17.03
10	एकीकृत प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रसंस्करण इकाई	145	248.07
11	लॉजिस्टिक्स सुविधा	12	12.48
12	मशरूम की खेती	4	2.43
13	जैविक इनपुट उत्पादन	15	64.55
14	अन्य*	1618	678.79
15	पैकेजिंग इकाइयाँ	21	6.84
16	फसलोपरांत प्रबंधन गतिविधियाँ	91	133.46
17	पीएम कुसुम घटक क	54	224.58
18	पीएम-कुसुम घटक ख और घटक ग	9673	197.00
19	पॉली हाउस/ग्रीनहाउस	137	76.16
20	राज्य या उनकी एजेंसियों द्वारा संवर्धित पीपीपी परियोजनाएँ	1	7.00
21	प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र	2292	1989.10
22	राइपेनिंग कक्ष	19	17.40
23	साइलो	7	299.15
24	सॉर्टिंग और ग्रेडिंग इकाई	298	291.24
25	फसल समूहों के लिए आपूर्ति श्रृंखला इंफ्रास्ट्रक्चर	32	1.49
26	गोदाम	4506	4143.64
	कुल	30908	11046.95

*अन्य परियोजनाओं में शहद प्रसंस्करण, कृषि अवसंरचना का सौर ऊर्जाकरण, रेशम उत्पादन और प्रसंस्करण, कोकून प्रसंस्करण आदि शामिल हैं।

अनुबंध- ख

	रतलाम		
क्र.सं.	परियोजनाएँ	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ में)
1	कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन	2	0.90
2	कस्टम हायरिंग सेंटर	188	28.04
3	कृषि/फसल स्वचालन	117	30.98
4	स्मार्ट और प्रिसीजन खेती के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर	4	0.67
5	जैविक इनपुट उत्पादन	1	0.99
6	अन्य	69	22.98
7	पैकेजिंग इकाइयाँ	1	0.24
8	पीएम-कुसुम घटक क	1	6.50
9	पीएम-कुसुम घटक ख और घटक ग	430	9.63
10	पॉली हाउस/ग्रीनहाउस	8	4.35
11	प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र	28	14.70
12	सॉर्टिंग और ग्रेडिंग इकाई	12	12.05
13	गोदाम	69	60.94
	कुल	930	192.97

	झाबुआ		
क्र.सं.	परियोजनाएँ	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ में)
1	कस्टम हायरिंग सेंटर	56	8.33
2	खेती/फसल स्वचालन	9	2.62
3	स्मार्ट और प्रिसीजन खेती के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर	1	0.18
4	अन्य	4	0.73
5	पीएम-कुसुम घटक-ख और घटक-ग	40	0.66
6	प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र	8	0.59
7	फसल समूहों के लिए आपूर्ति श्रृंखला इंफ्रास्ट्रक्चर	16	0.58
8	गोदाम	10	5.92
	कुल	144	19.61

	अलीराजपुर		
क्र.सं.	परियोजनाएँ	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड में)
1	कस्टम हायरिंग केंद्र	23	3.36
2	अन्य	5	0.59
3	पीएम-कुसुम घटक-ख और घटक-ग	21	0.42
4	प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र	9	0.67
5	गोदाम	1	0.50
	कुल	59	5.54

*अन्य परियोजनाओं में शहद प्रसंस्करण, कृषि अवसंरचना का सौर ऊर्जाकरण, रेशम उत्पादन और प्रसंस्करण, कोकून प्रसंस्करण आदि शामिल हैं।
